न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैंपऊ (धौलपुर)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 155 दिनांकः— 12/6/25

तहसीलदार
सैंपऊ

विषयः— वमुक उनवान राकेश बनाम तहसीलदार सैंपऊ में पालना बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवान अजय कुमार बनाम तहसीलदार सैंपऊ अन्तर्गत धारा 128,129 एलआर एक्ट दिनांक 12.6.2025 को निर्णीत किया जा चुका है। निर्णय दिनांक 12.6.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः आप मुताबिक निर्णय पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

उपखण्डाधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैंपऊ

पीठासीन अधिकारी – भगवतशरण त्यागी आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या– 22 /2021

1. राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति काछी (कुशवाह) निवासी नृसिंहगढ मजरा मालौनी खुर्द तह० सैंपऊ जिला धौलपुर राज०

बनाम ....प्रार्थी

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय सैंपऊ जिला धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ।

.... अप्रार्थी

उपस्थितिः–

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी अंतर्गत धारा 129 एलआरएक्ट

1–श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ....(प्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक 12.6.2025

सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 2668/1521 रकवा 0.0632 हे. व 2669/1524 रकवा 0.0253 हे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.0885 हेक्टेयर वाके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैंपऊ का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त है तथा उक्त कृषि भूमी प्रार्थी की खातेदारी में आपसी सहमति बटवारा के तहत आई है। प्रार्थी ने आपसी सहमती बटवारा के पश्चात मुताबिक बटवारा निशानात कायम नहीं किये है। प्रार्थी उक्त आराजी पर अपने खर्चे पर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसके लिए पत्थरगढी हेतु तहसीलदार सैंपऊ से निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार महोदय सैंपऊ ने प्रार्थीगण से पत्थरगढी के लिए यह कहते हुए इंकार कर दिया कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय से मेरे लिए आदेश लेकर आओ तब पत्थरगढी करवाऊंगा। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान के जरिये उक्त वर्णित आराजी का बाद सीमांकन पत्थरगढी का आदेश श्रीमान तहसीलदार के लिए अपने खर्चे पर करवाये जिसका कि प्रार्थी अधिकारी एवं दावेदार है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्त में आराजी खसरा नम्बर 2668/1521 रकवा 0.0632 हे. व 2669/1524 रकवा 0.0253 हे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.0885 हेक्टेयर वाके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैंपऊ की बाद सीमांकन श्रीमान तहसीलदार सैंपऊ को प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा तहसीलदार सैंपऊ से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव तलब किया गया तहसीलदार सैंपऊ द्वारा अपने पत्रांक 198 दिनांक 10.6.2025 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सैंपऊ दिनांक 21.6.2024 को आराजी खसरा नम्बर 2668/1521 रकवा 0.0632 हे. व 2669/1524 रकवा 0.0253 हे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.0885 हेक्टेयर वाके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैंपऊ की मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया आराजी खसरा नम्बर 2668/1521 व 2669/1524 में पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.6.2024 के आधार पर यदि प्रार्थीगण स्वयं के खर्चे पर पत्थरगढी कराते है तो कोई आपत्ति नहीं है एवं न्यायसंगत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। दस्तावेजो के अवलोकन से पूर्णतः सहमत है तथा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र 129 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2668/1521 रकवा 0.0632 हे. व 2669/1524 रकवा 0.0253 हे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.0885 हेक्टेयर वाके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर को मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 21.6.2024 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के खर्चे पर कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सैंपऊ को उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु परवाना जारी हो। तहसीलदार सैंपऊ उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट अविलम्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.6.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner